

आदेश

एतद्वारा जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के कार्यालय पत्र संख्या 124/21-53/जे0आर0के0(स्कूटनी कमेटी)/2104-15 दिनांक 08 अगस्त, 2015 के क्रम में श्री इन्दु गोस्वामी पत्नी श्री दीपक पुरी निवासी ग्राम ज्वाणा स्टेट, तहसील गरुड जिला बागेश्वर को इस कार्यालय से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या 0603041301143 दिनांक 13.12.2013 के क्रम में स्कूटनी कमेटी द्वारा दिनांक 30.07.2015 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में जाति प्रमाण पत्र संख्या 0603041301143 निरस्त किया जाता है।

तहसीलदार
गरुड

कार्यालय तहसीलदार, गरुड

संख्या - 50/एम0आर0 /स्कू0कमे0 2014-15 /विधि/2015 दिनांक 11 अगस्त 2015

- प्रति -
1. जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 2. मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 3. उप जिलाधिकारी गरुड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 4. जिला समाज कल्याण अधिकारी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 5. जिला पंचायत अधिकारी बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 6. खण्ड विकास अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
 7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बागेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त आदेश का प्रकाशन एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर करने का कार्य।
 8. जिला सूचना अधिकारी बागेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त आदेश की प्रति प्रमुख समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशन करने की का कार्य।
 9. राजस्व उपनिरीक्षक पिगलों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश के प्रति श्रीमती इन्दु गोस्वामी उपरोक्त को सूचित/तामिल कराने उपरान्त प्रत्यावाहीत करें।
 10. कार्यालय प्रति।
 11. नोटिस बोर्ड।

तहसीलदार
गरुड